RTI MATTER

69

No.I-18011/1/2016-E.III
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Industrial Policy & Promotion
(E.III Section)

Udyog Bhavan, New Delhi
Dated the 6th July, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Transfer of RTI Application dated 6/6/2017 received from Shri Pratap Singh Sisodiya, Agra under sub Section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005-regarding.

The undersigned is directed to transfer herewith an application dated 6/6/2017 received from Shri Pratap Singh Sisodiya, Agra (copy enclosed) under Section 6(3) of RTI Act. Information pertaining to your organisation may be directly sent to the applicant. Information pertaining to CPIO (Estt), Deptt. of Industrial Policy & Promotion is being sent to the applicant separately.

This issues with the approval of Dir(Estt.) & CPIO, DIPP.

6.7.17

(DAYANIDHI JOSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To,

All Attached/Subordinate Offices & Autonomous Bodies under the administrative control of the D/o IPP.

Copy to: RTI section , DIPP

PIO for n.a.pl.
10/7/17

Sh. M. P. Sharma
for n.a. pl.
10/7/17

No. I-11/142/2017/RTI
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Industrial Policy & Promotion
(RTI Section)
...

Subject: Information under RTI Act, 2005.

(FR): The Department of Social Justice & Empowerment (Divyangjan Sashaktikaran Vibhag) vide their communication No. I-51/2017- RTI dated 06.06.2017 have transferred an RTI application dated 22.05.2017 from Shri Pratap Singh Sisodiya, Agra received in this Department on 12.06.2017 seeking information under RTI Act, 2005. The details of application are given below:

S.No	Name ofapplicant (S/Shri/ Ms.)	Application No and Date/Date of receipt in RTI Section	Concerned CPIO	Remarks
1.	Pratap Singh Sisodiya	22.05.2017 12.06.2017	Dir. (AS)	

2. Concerned CPIO is requested to provide requisite information directly to the applicant within the prescribed time frame under intimation to RTI Section. As per RTI Act, 2005 the nil information has also to be sent to the applicant.

16/6/17

US(VKS) on leave

US/SRA
US/RNJ

DS(NK)

US(VKS) on leave

SO(RTI)

Pls also circulate to all orgn. under DIPP.

16.6.17

27/6/17

29.6.17

SO (Estt. III Section)

29.6.17

1881/E-III
29/6/17

फा.सं. 1–51/2017–आरटीआई सेल
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003
तारीख: 06 जून, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री प्रताप सिंह सिसोदिया 1/58, देहली गेट, सिविल लाइन्स, आगरा, उत्तर प्रदेश–282002 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन/प्रतिवेदन दिनांक 22.05.2017 जो प्रधान मंत्री कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. आरटीआई/6632/2017–पीएमआर दिनांक 29.05.2017 द्वारा (जो आरटीआई सेल में 01.06.2017 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर माँगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

(संजय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 24365053

संलग्न यथोपरिप्रेषित :

1. श्री डी. के. पाण्डा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. श्री प्रदीप पुरोहित, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
3. श्री सौरांशू सिन्हा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. श्री एस. के. मेहतो, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
5. श्री संजय सिंह, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
6. सुश्री सुरक्षा शर्मा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
7. सभी मंत्रालय/विभाग, संलग्न सूची के अनुसार
8. सभी लोक सेवा आयोग, संलग्न सूची के अनुसार
9. सभी उच्च न्यायलय, संलग्न सूची के अनुसार
10. सीपीआईओ, आरटीआई सेल, रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, मान सिंह रोड, नई दिल्ली।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन प्राप्त किया 12 JUN 2017 540 उद्योग भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

श्री प्रताप सिंह सिसोदिया 1/58, देहली गेट, सिविल लाइन्स, आगरा, उत्तर प्रदेश–282002 :– आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2017 जो प्रधान मंत्री कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. आरटीआई/6632/2017–पीएमआर दिनांक 29.05.2017 द्वारा (जो आरटीआई सेल में 01.06.2017 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित जन सूचना अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110 011

संख्या आरटीआई/6632/2017-पीएमआर

दिनांक: 29/5/, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री प्रताप सिंह सिसोदिया से प्राप्त दिनांक 22.5.2017 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 26.5.2017 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

(प्रवीन कुमार)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
e-mail: rti-pmo.applications@gov.in
☏: 2338 2590

सचिव, भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

बिंदु संख्या 2 से 6 के संबंध में

प्रति- (स्पीड पोस्ट)

श्री प्रताप सिंह सिसोदिया
1/58, देहली गेट
सिविल लाइन्स, आगरा
उत्तर प्रदेश-282002

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित सूचना कालान्तर में प्रदान कर दी जाएगी।

6152/17 6632 29/5/17

(2)

प्रताप सिंह सिसौंदिया

एडवोकेट हाईकोर्ट

मो0 नं0: 9457053448

चैम्बरः क0सं0–3, अपर फ्लोर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

e-mail: sisodialegalservice@gmail.com

पत्राचार /कैम्प कार्यालयः 1/58, देहली गेट, सिविल लाइन्स, आगरा–282002

पत्रांकः

दिनांकः22.05.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)

अंतर्गत धारा 6(1)

सेवा में,

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

कार्यालय, मा.प्रधान मंत्री महोदय

भारत सरकार, नई दिल्ली

2017

DAK SECTION

महोदय,

दिव्यांगजन(Person with Disablity) हित में आपके कार्यालय से निम्नलिखित सूचनाएं वांक्षित हैं।

1. प्रार्थी द्वारा आपके कार्यालय को भेजे गए प्रार्थनापत्र दिनांक-08/03/2017 के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराएँ जो कि प्रार्थी द्वारा संपादित पत्रिका दिव्यांग दर्पण के letter head पर टंकित था। प्रार्थनापत्र की कॉपी संलग्न है।
2. दिव्यांगजन से संबंधित विभाग की वेबसाइट कितने दिनों बाद अद्यतन (update) की जाती है ? व अंतिम बार संपूर्ण रुप से कब अद्यतन(update) की गई थी।
3. विगत वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई ? एवं किस- किस संस्था को कितनी- कितनी धनराशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित की गयी? प्रदेश /जिले बार संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएँ।
4. संपूर्ण भारतवर्ष में दिव्यांगजन की कुल कितनी जनसंख्या है ? प्रदेश /जिले बार स्त्री-पुरुषों की सूची उपलब्ध कराएँ।
5. संपूर्ण भारतवर्ष में केंद्र सरकार के समस्त विभागों में कार्यरत दिव्यांग अधिकारी एवं कर्मचारियों की विभाग एवं प्रदेश / जिले बार सूची उपलब्ध कराएँ।
6. संपूर्ण भारतवर्ष के ऐसे अनुकरणीय दिव्यांग जिन्होंने किसी भी प्रकार की अंतराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला/ तालुका/ खण्ड स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेकर सम्मान प्राप्त किया हो की जिले बार समस्त सूची उपलब्ध कराएँ।

R 24 MAY 2017

2/o Disability (2 to 6)

Dak - pt. 1

May 21, 2017

URGENT

ACT

6507

26/5/17

Last Date For Disposal 31/5/17

Sisaudia

36F536D36

25/01

4631275

P.T.O.

(3)

7. भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों व् राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली " न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं " एवं "उच्च न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं " में दिव्यांगजन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? सप्रमाण जानकारी उपलब्ध कराएँ ।

अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रश्नानुसार बिंदुबार जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।

सहयोग की अपेक्षा में !

भवदीय

Sisodia

प्रताप सिंह सिसोदिया

संलग्नक-1. शुल्क - ₹-10/ (पोस्टल ऑर्डर सं.- 37F-538038)

2. 8-3-17 के प्रार्थना पत्र की प्रति द्वितीय

नोट- यदि मांगी गई सूचना या इसका कोई अंश आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

Sisodia 22.5.17

प्रताप सिंह सिसोदिया
अधिवक्ता
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (उ०प्र०)

(4)

त्रैमासिक पत्रिका

दिव्यांग दर्पण

उड़ान... हौसलों की

दिव्यांगों को समर्पित प्रेरक प्रसंगों की अनूठी पत्रिका

प्रताप सिंह सिसोदिया
संपादक

परम आदरणीय,
मा0 नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

होलिकोत्सव की शुभकामनाओं सहित ह्रदय की अनन्त गहराईयों से सादर नमन !

श्रीमान जी,

आपको सूचित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, कि हमारे द्वारा दिव्यांगों को समर्पित प्रेरक प्रसंगों की एक त्रैमासिक पत्रिका "दिव्यांग दर्पण" का सम्पादन किया जा रहा है, *उक्त पत्रिका के माध्यम से हम तन, मन, धन की अल्पता के कारण स्वयं को दीन–हीन, लाचार, एवं अपाहिज समझने वाले व्यक्तियों का उत्साहवर्धन करते हुए, उन्हे उनके जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने हेतु मार्गदर्षित कर हौसला प्रदान करना है, जो कि हाशिऐ पर पड़े हुए दिव्यांगो को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराते हुए मुख्यधारा से जोडने का एक प्रयास है, ताकि दिव्यांगजन स्वावलम्बी बनकर सिर उठाकर जी सकें।* या एक वाक्य में कहा जाये तो हमारा प्रमुख उद्देश्य "विकलांगों को दिव्यांग बनाना" है।

ध्यातव्य हो कि मैं स्वयं संपादक पत्रिका "दिव्यांग दर्पण" 6 माह की आयु से ही विकलांगता के कारण परिवार एवं समाज इत्यादि की उपेक्षाओं का शिकार होता आया हूँ, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और प्रगति के पथ पर अग्रसर हूँ। मेरी शिक्षा मेहनत, मजदूरी एवं छोटी–मोटी नौकरी आदि करके पूरी हुई है। अब आजकल मैं वकालत, काव्य लेखन एवं कवि सम्मेलनों के माध्यम से अपनी आजीविका के साथ ही समाज के उपेक्षित वर्गों के विकास एवं अधिकारों के लिए संघर्षरत हूँ।

महोदय, दिनांक 27 दिसम्बर 2015 को मन की बात के माध्यम से आपके द्वारा विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द कहकर मुझे जो खुशियाँ दीं वह अवर्णनीय हैं। जिसके आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, जिससे कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। आपकी उक्त घोषणा के समय ही मैंने दिव्यांगजनों के लिए कुछ विशेष करने का सोचा और "दिव्यांग दर्पण" नामक त्रैमासिक पत्रिका निकालने का संकल्प लिया। जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को शासन–प्रशासन की समस्त योजनाओं की जानकारी एवं प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से प्रेरणा देकर उनके चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर करना मेरा लक्ष्य है। इस पत्रिका का प्रवेशांक लगभग तैयार हो चुका है जिसका *शुभारम्भ नव संवत्सर 2074 से आपके कर कमलों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया है।*

अतः इस पावन कार्य के विमोचन के लिए दिव्यांग शब्द के जनक विकलांगों को सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देने वाले बहुमुखी प्रतिमा एवं व्यापक सोच के धनी, अखण्ड योगी, प्रखर वक्ता, दूरदृष्टा, दिव्यात्मा, श्रेष्ठ महापुरूष हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी से समस्त दिव्यांगजनों की ओर से विनम्र प्रार्थना है कि पत्रिका दिव्यांग दर्पण को अपना आर्शीवचन पत्र उपलब्ध कराते हुए, पत्रिका के विमोचन हेतु 28 मार्च 2017 के बाद किसी भी दिन अपने कार्यालय परिसर में अथवा जहाँ भी आप उचित समझें कुछ क्षणों का समय प्रदान कर उक्त पत्रिका का विमोचन करते हुए दिव्यांगजनों को अपना आर्शीवाद प्रदान करें, एवं मुझ नाचीज़ को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आदेशित करें, ताकि मैं आपके सदकार्यों की पावन यज्ञ में कुछ आहुतियाँ देकर स्वयं का जीवन सफल बना सकूँ।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कि आप मेरे उक्त निवेदन को स्वीकार कर पत्रिका दिव्यांग दर्पण के विमोचन का समय अवश्य देंगे।

भवदीय

(प्रताप सिंह सिसौदिया)

दिनांकः–08.03.2017
संलग्नकः– विशिष्टजनों के कुछ शुभ संदेश

36ए, निबौहरा, फतेहाबाद, आगरा–283111 अणुडाकः–divyangdarpan@gmail.com सचलभाषः–9457053448

कृ0पृ0पृ0 (P.T.O.)

पहले भेजे गये प्रार्थना पत्र की
⇒ डाक रसीद

भारतीय डाक
India Post

RL SANJAY PLACE <282002>
C RU582794864IN
Counter No:3,OP-Code:01
To:NARENDRA BHAI MODI,
DELHI, PIN:110011
From:DIVYANG DARPAN , AGRA
Wt:30grams,
Amt:30.00 (LFee:Rs.3.00), 09/03/2017 17:59
<<Track on www.indiapost.gov.in>>